



इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर

चांदा तलावली मांगलिया, इन्दौर 453771

Phone : 0731-2811189, 2811553, 2811554,

Mobile No. 9406800317, Email - sanchi13a@gmail.com

!! इन्दौर दुग्ध संघ के विपणन क्षेत्रों में साँची दुग्ध पदार्थ एवं बटर वितरण हेतु सुपरस्टाकिस्ट परिवहनकर्ता नियुक्ति हेतु ई-निविदा सूचना !!

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर द्वारा दुग्ध संयंत्र से दुग्ध संघ के विपणन क्षेत्रों में साँची दुग्ध पदार्थ एवं बटर वितरण हेतु रेफ्रिजरेटेड वाहन से सुपरस्टॉकिस्ट परिवहनकर्ता नियुक्ति हेतु पृथक-पृथक विपणन मार्ग के क्षेत्रों में वितरण कार्य हेतु सुपरस्टाकिस्ट नियुक्ति एवं रेफ्रिजरेटेड वाहन से (सप्ताह में दो दिवस) परिवहन हेतु ई-निविदा के माध्यम से Online दरें आमंत्रित की जाती है। अधिक जानकारी के लिए आवेदन एम.पी.सी.डी.एफ. की वेब साईड sanchidairy.com पर देखा जा सकता है एवं निविदा प्रपत्र का निर्धारित मूल्य रु. 1,000/- का भुगतान कर वेबसाईट www.mptenders.gov.in से प्राप्त कर Online आवेदन दिनांक 02.09.2021 दोपहर 1:00 बजे तक जमा किया जा सकता है। निविदा ऑफर को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने के अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर के पास सुरक्षित रहेगा।

इस निविदा सम्बन्धी कोई संशोधन होता है तो वह उपर वर्णित वेबसाईट के अलावा अन्यत्र कहीं भी प्रकाशित नहीं की जावेगी।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर द्वारा दुग्ध संयंत्र इन्दौर से दुग्ध संघ के विपणन क्षेत्रों में साँची दुग्ध पदार्थ एवं बटर वितरण हेतु रेफ्रिजरेटेड वाहन से सुपरस्टॉकिस्ट परिवहनकर्ता नियुक्ति हेतु विपणन मार्ग हेतु ई-निविदा प्रपत्र

ॐ निविदा आवेदन पत्र ॐ

वर्ष 2021 - 2022



इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर

चांदा तलावली मांगलिया, इन्दौर 453771

Phone : 0731-2802554, Fax No. 0731-28011559

Email - sanchi13a@gmail.com

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित
चांदा तलावली, मागलिया, इन्दौर

सुपरस्टॉकिस्ट परिहवनकर्ता नियुक्ति हेतु अल्पकालीन ई-निविदा प्रपत्र १०

- | | | |
|-----|--|--|
| (1) | ई-निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि एवं समय। | 02.09.2021 दोप. 01.00 बजे तक। |
| (2) | ई-निविदा (ऑन लाईन) जमा करने की अंतिम दिनांक व समय | 02.09.2021 दोप. 01.00 बजे तक। |
| (3) | निविदा खोलने की तिथि एवं समय। | 03.09.2021, दोप. 02.00 बजे। |
| (4) | निविदा के साथ जमा की जाने वाली अमानत राशि। | रु. 50,000/-
(अक्षरी रु. पचास हजार मात्र) |
| (5) | सुपरस्टॉकिस्ट हेतु तकनीकी अर्हताओं का प्रारूप। | प्रपत्र 01 |
| (6) | सुपरस्टॉकिस्ट की सामान्य शर्तें। | प्रपत्र 02 |
| (7) | सामान्य जानकारी आवेदन पत्र | प्रपत्र 03 |
| (8) | विपणन मार्ग की जानकारी | प्रपत्र 04 |
| (9) | “भाव पत्र/दरे” प्रस्तुत करने का प्रारूप। (ऑन लाईन) | प्रपत्र 05 |

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
इन्दौर सह.दुग्ध संघ मर्या.
इन्दौर

विषय :- साँची दुग्ध पदार्थ एवं बटर सुपरस्टॉकिस्ट परिवहनकर्ता हेतु आवेदन पत्र।
महोदय,

साँची दुग्ध पदार्थ, बटर सुपरस्टॉकिस्ट हेतु दिनांक को समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञापन के संदर्भ में निवेदन करता हूँ कि मेरे द्वारा निविदा प्रपत्र में वर्णित समस्त शर्तें एवं निर्देश पढ़ कर समझ लिये गये हैं। यदि मेरी निविदा स्वीकृत की जाती है तो मैं आपके द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार कार्य करने हेतु सहमत हूँ।

—=0 तकनीकी अर्हतायें 0=—

क्रं.	आवश्यक आर्हता	विवरण
1.	आवेदक का नाम व पता (संस्था/फर्म आदि की दशा में पंजीयन का प्रमाण	(विवरण ऑन लाईन प्रस्तुत करें)
2.	यदि कोई पार्टनर हो तो उनका नाम व पता एवं पार्टनरशिप डीड संलग्न करें।	
3.	संस्था/फर्म होने की दशा में अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम।	
4.	निविदाकर्ता का आधार नम्बर होना अनिवार्य है।	
5.	पान नम्बर की प्रति संलग्न करें।	
6.	परिवहन कार्य हेतु उपलब्ध रेफ्रीजरेटेड वाहन के दस्तावेज एवं नया वाहन खरीदने की दशा में रु. 100/- के स्टाम्प पत्र पर नोटिराईज्ड शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।	
7.	खाद्य एवं सुरक्षा का लाईसेंस/पंजीयन की प्रति संलग्न करें।	
8.	इनकम टैक्स रिटर्न वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 तीनों वर्षों की पावती प्रस्तुत करना होगी।	
9.	आवेदनकर्ता के विरुद्ध किसी प्रकार का न्यायालयीन प्रकरण नहीं हो जिसका सत्यापन निकटम पुलिस थाने से बनाना अनिवार्य है।	
10.	एफ.एम.सी.जी. अथवा दूध विक्रय के क्षेत्र में न्यूनतम 01 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र रु. 100/- के नोटिराईज्ड स्टाम्प पर स्वप्रमाणित कर संलग्न करें।	
11.	निविदाकर्ता का जी.एस.टी. नम्बर की प्रति संलग्न करें।	
12.	निविदाकर्ता का संबंध अध्यक्ष/संचालक <u>मण्डल के सदस्यों</u> , दुग्ध संघ के अधिकारी /कर्मचारी से संबंध नहीं है एवं किसी भी दुग्ध संघ द्वारा ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया हो रु. 100 के स्टाम्प पत्र पर नोटिराईज्ड शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।	
13.	ई.एम.डी. राशि ऑनलाईन प्रस्तुत करना होगी।	

नोट - उपरोक्त दर्शित बिन्दुओं से संबंधित जानकारी/प्रमाणक ऑन लाईन प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

हस्ताक्षर — — — — —

नाम — — — — —

पता — — — — —

— — — — —

दूरभाष/मोबाईल नम्बर — — — — —

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,

साँची दुग्ध पदार्थ, बटर सुपरस्टॉकिस्ट परिवहनकर्ता निविदा हेतु आवश्यक शर्तें

- 1) आवेदनकर्ता को चाहे गए समस्त दस्तावेज ऑन-लाईन अपलोड करना अनिवार्य है।
- 2) आवेदक को ऑन लाईन राशि रु. रूपये 50,000/- (अक्षरी रूपये पचास हजार मात्र) अर्नेस्ट मनी के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा। अर्नेस्ट मनी जमा न करने की स्थिति में आवेदन पर विचार नहीं किया जावेगा, तथा ऐसे आवेदन स्वतः निरस्त माने जावेंगे।
- 3) सफल निविदाकार की नियुक्ति पश्चात संघ में प्रतिभूति राशि पेटे रूपये 2.00 लाख नकद आर.टी.जी.एस. के माध्यम से दुग्ध संघ के खाते में जमा करना होगा तथा ई.एम.डी. राशि का समायोजन प्रतिभूति राशि में किया जावेगा। दुग्ध पदार्थ, बटर विक्रय वृद्धि होने पर आनुपातिक रूप से प्रतिभूति राशि में वृद्धि की जावेगी। प्रतिभूति राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
- 4) असफल निविदाकारों की ई.एम.डी. राशि निविदा खोलने की दिनांक से 30 कार्य दिवस में वापस की जावेगी जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
- 5) मध्यप्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम स्तर के व्यवसायियों को ई-निविदा में प्रतिभूति राशि के भुगतान से छूट रहेगी परंतु एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग) का पंजीयन प्रमाण पत्र ऑनलाईन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 6) सुपरस्टॉकिस्ट परिवहनकर्ता के द्वारा किये जाने वाले कार्य निम्नानुसार रहेंगे :-
 - ☒ सुपरस्टॉकिस्ट को साँची दुग्ध पदार्थ, बटर की प्रदायगी वितरण डाक, दुग्ध संयंत्र इन्दौर से सप्ताह में दो दिवस की जावेगी। मांग में वृद्धि होने पर नियमित प्रदायगी की जावेगी।
 - ☒ विपणन मार्ग की दूरी कि.मी. का सत्यापन संघ की समिति द्वारा किया जावेगा। सत्यापित कि.मी. के आधार पर परिवहन देयक का भुगतान किया जावेगा।
 - ☒ सुपरस्टॉकिस्ट को रेफ्रिजरेटेड वाहन (+ -) संचालित करना होगा।
 - ☒ सुपरस्टॉकिस्ट को भरी एवं खाली क्रेटों का हिसाब रखना होगा एवं संघ को प्रत्येक माह मिलान हेतु हिसाब प्रस्तुत करना होगा। साथ ही प्रतिदिन जितनी भरी क्रेटें प्रदाय होती है उतनी ही संख्या में खाली क्रेटें निर्धारित समय पर जमा करना होगी।
 - ☒ सुपरस्टॉकिस्ट को साँची दुग्ध पदार्थ, बटर की वेरिएंट अनुसार मांग एकत्रित कर, गणना कर निर्धारित समय पर लिखित में अथवा ई-मेल द्वारा प्रतिदिन दुग्ध संयंत्र को देना होगी।
 - ☒ सुपरस्टॉकिस्ट के पर्यवेक्षक/वाहन चालक, वाहनों में हो रहे दुग्ध पदार्थ, बटर लोडिंग के पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे कि दुग्ध पदार्थ हर तरह से अर्थात् गुणवत्ता, शीतलीकृत तापमान, लीकेज, वजन, क्रेट में निर्धारित संख्या पैकेट आदि से अच्छा है, इसके पश्चात् संघ किसी भी रूप में उत्तरदायी नहीं रहेगा। इस हेतु यह आवश्यक होगा की सुपरस्टॉकिस्ट अपने पर्यवेक्षक के नाम मय फोटो I.D. प्रुफ के संघ में जमा करावेगा ताकि उनकी अनुपस्थिति रिकार्ड संघ में रखा जा सके। पर्यवेक्षकों की अनुपस्थिति के विरुद्ध प्रबन्ध द्वारा निर्धारित पैनल्टी लगाने का अधिकार संघ के पास सुरक्षित रहेगा।
 - ☒ सुपरस्टॉकिस्ट द्वारा दुग्ध पदार्थ, बटर विक्रय की मांग अनुसार राशि NEFT/RTGS के माध्यम से अग्रिम दुग्ध संघ खाते में जमा करने के पश्चात् ही साँची उत्पाद प्रदाय किया जावेगा। राशि जमा नहीं होने पर दुग्ध पदार्थ प्रदाय करना संभव नहीं होगा। यदि दुग्ध पदार्थ प्रदाय बाधित होता है तो सुपरस्टॉकिस्ट की सेवा समाप्त की जा सकती है।
 - ☒ सुपरस्टॉकिस्ट द्वारा उठायी गई दुग्ध पदार्थ मात्रा की नियत राशि संघ द्वारा वसूल की जा सके इस हेतु **इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर** के नाम अकाउण्ट-पे रेखांकित पांच चैक अग्रिम में संघ को देना होगा। जिसका विशेष परिस्थितियों में संघ द्वारा उपयोग किया जा सकेगा।
- 7) यह कि अनुबधित अवधि में डीजल की दरों में जो वृद्धि/कमी होगी उसके अनुसार सुपरस्टॉकिस्ट परिवहनकर्ता की दरों में भी वृद्धि/कमी अनुपातिक दर से की जा सकेगी।
- 8) निविदाकार के पास GST नम्बर उपलब्ध हो तो ऑन लाईन प्रस्तुत करें अन्यथा कार्य आवंटन के पूर्व अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा।
- 9) सुपरस्टॉकिस्ट द्वारा भेजा जाने वाला वाहन यदि रास्ते में खराब होता है तो सुपरस्टॉकिस्ट का प्रमुख दायित्व रहेगा कि तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था करेगा।


- 10) सुपरस्टॉकिस्ट द्वारा नियुक्त अधिकृत वितरकों/विक्रेताओं को दिये जाने वाले मार्जिन एवं परिवहन व्यय का भुगतान सुपरस्टॉकिस्ट के माध्यम से किया जावेगा एवं भुगतान का रिकार्ड सुपरस्टॉकिस्ट को रखना होगा एवं सत्यापन हेतु संघ को प्रस्तुत करना होगा। प्रस्तुत नहीं होने पर आगामी माह में मार्जिन का भुगतान नहीं होगा।
- 11) सुपरस्टॉकिस्ट को सम्पूर्ण क्षेत्र में किन्ही विपरीत परिस्थिति जैसे शहर बंद, कर्फ्यू, निजी दुग्ध पदार्थ व्यवसायियों की उपभोक्ताओं को दुग्ध पदार्थ प्रदाय नहीं करने संबंधी हड़ताल आदि अवसरों पर दुग्ध पदार्थ का प्रदाय अपनी जिम्मेदारी पर अनिवार्य रूप से करना होगा।
- 12) FMCG (Fast Moving consumer goods वितरण का अनुभव होना चाहिए, दुग्ध पदार्थ व्यवसाय करने वालों को प्रथमिकता दी जावेगी।
- 13) शासन द्वारा निर्धारित वर्गवार (अ.जा., अ.ज.जा., पि. वर्ग, सामान्य) आवंटन अनुसार एवं विकलांक आवेदनकर्ताओं को प्राथमिकता दी जावेगी, जिस हेतु प्रमाण-पत्र आन-लाईन प्रस्तुत करना होगा।
- 14) सुपरस्टॉकिस्ट को संघ द्वारा निर्धारित सम्पूर्ण क्षेत्र में साँची दुग्ध पदार्थ के व्यवस्थित वितरण हेतु व्यवस्था करना होगी साथ ही वितरण कार्य में लगाये जाने वाले क्षेत्रीय वितरण वाहन (2016 या उसके बाद के मॉडल) रेफ्रीजरेटेड होकर चारों ओर से बन्द (लोडिंग – अनलोडिंग हेतु एक ओर दरवाजा हो एवं पर्याप्त प्रकाश) की व्यवस्था भी करना होगी। इस संबंध में आवश्यक दस्तावेज जैसे :- वाहन किराया, अनुबंध रजिस्ट्री आदि तथा वाहन रजिस्ट्रेशन भी जमा करवाने होंगे।
- 15) सुपरस्टॉकिस्ट को दुग्ध पदार्थ प्रदाय करते समय उसकी जाँच-परख हर दृष्टि से सुनिश्चित कर लेना होगा। प्रदाय होने पश्चात् किसी भी प्रकार लीकेज/कम मात्रा, क्रेट आदि की जिम्मेदारी सुपरस्टॉकिस्ट की रहेगी।
- 16) सुपरस्टॉकिस्ट को संघ की निर्धारित शर्तों अनुसार **रूपये 1,000/-** के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबंध निष्पादित करना होगा। यह कि प्रथमपक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को केवल साँची दुग्ध पदार्थ वितरण/विक्रय हेतु आवंटित क्षेत्रों हेतु पूर्णतः अस्थाई रूप से 3 वर्ष की अवधि हेतु सुपरस्टॉकिस्ट नियुक्त किया गया है तत्पश्चात् कार्य, वित्तीय व्यवहार, लक्ष्य पूर्ति संतोषजनक होने पर एक एक वर्ष कर दो वर्ष तक वृद्धि की जा सकेगी।
- 17) सुपरस्टॉकिस्ट परिहवनकर्ता को एक माह का पूर्व अग्रिम सूचना देकर दुग्ध संघ के हित में विपणन मार्ग बंद करने का अधिकार प्रथम पक्ष/दुग्ध संघ का होगा। इसके लिए प्रथम पक्ष/दुग्ध संघ किसी भी तरह की न्यायालयीन प्रक्रिया से मुक्त होगा। सुपरस्टॉकिस्ट परिवहनकर्ता कार्य नहीं करना चाहता है तो उसे दुग्ध संघ को तीन माह का अग्रिम लिखित नोटिस सुपरस्टॉकिस्ट परिवहनकर्ता (दुग्ध पदार्थ, बटर) का कार्य छोड़ने बाबद् देना होगा।
- 18) संघ से क्रय की गई दुग्ध पदार्थ मात्रा की राशि NEFT/RTGS के माध्यम से संघ खाते में अग्रिम जमा करवानी होगी। बैंक अवकाश के दिनों में भी ऑन लाईन राशि दुग्ध संघ के खाते में अग्रिम हस्तांतरण कराना अनिवार्य है।
- 19) सुपरस्टॉकिस्ट की नियुक्ति पश्चात् समस्त संचालित वाहनों पर ब्राण्डिंग संघ द्वारा दी गई डिजाईन अनुसार आपको अपने व्यय पर कराना होगा।
- 20) निविदा प्रपत्र के साथ आपके विरुद्ध किसी प्रकार का न्यायालयीन प्रकरण नहीं हो, जिसका सत्यापन निकटतम पुलिस थाने से बनाकर प्रस्तुत करें।
- 21) किसी भी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर को होगा।
- 22) प्राप्त आवेदन की समीक्षा गठित चयन समिति के द्वारा की जावेगी, एवं चयन प्रक्रिया के संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं समस्त आवेदकों पर बंधनकारी होगा।
- 23) आवेदन स्वीकृत होने के बाद किसी भी कारणवश कार्य नहीं करने पर आवेदनकर्ता की अर्नेस्ट मनी राजसात करने का निर्णय मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा लिया जा सकेगा।
- 24) निविदा ऑफर को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने के अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्या., इन्दौर के पास सुरक्षित रहेगा।
- 25) सुपरस्टॉकिस्ट उपभोक्ताओं को MRP पे ही साँची दुग्ध पदार्थ विक्रय कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। MRP से अधिक विक्रय होने पर वैधानिक कार्यवाही के लिए सुपरस्टॉकिस्ट जिम्मेदार होंगे।
- 26) किसी भी प्रकार का विवाद होने पर माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्दौर दुग्ध संघ का निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।
- 27) किसी भी प्रकार का विवाद होने पर न्यायक्षेत्र इन्दौर रहेगा।

मेरे द्वारा साँची दुग्ध पदार्थ, बटर सुपरस्टॉकिस्ट हेतु आवेदन एवं उसकी समस्त शर्तें पढ़ व समझ ली है तथा मैं सभी शर्तों को मानने के लिये सहज तैयार हूँ/है। आवेदन में दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है यदि मेरे द्वारा आवेदन में प्रस्तुत जानकारी असत्य प्रमाणित होती है या मैं बिन्दु क्रमांक 01 से 27 तक वर्णित शर्तों एवं निर्देशन का पालन नहीं करता हूँ एवं मेरी अर्नेस्ट मनी राजसात करने का प्रबन्ध द्वारा निर्णय किया जाता है तो मैं इस हेतु अपनी सहमति देता हूँ।

नाम –

हस्ताक्षर

❖ साँची दुग्ध पदार्थ, बटर सुपरस्टॉकिस्ट परिवहनकर्ता हेतु ❖
ई-निविदा प्रपत्र/आवेदन



1. आवेदक का नाम ■ _____
2. पिता/पति का नाम ■ _____
3. स्थाई पता ■ _____
(प्रमाण सहित) ■ _____
■ _____
4. व्यवसाय का पता ■ _____
■ _____
■ _____
- (अ) दूरभाष नं. ■ _____
- (ब) मोबाईल नं. ■ _____
5. शैक्षणिक योग्यता ■ _____
6. आवेदनकर्ता का वर्ग ■ _____
(अजा, अजजा, पि. वर्ग, सामान्य)
7. आवेदक/फर्म का नाम/यदि फर्म पार्टनरशिप है तो पार्टनर-शिप फर्म की पूर्ण जानकारी (दस्तावेजों की छायाप्रति सहित) देना अनिवार्य है। ■ _____
■ _____
■ _____
8. वर्तमान व्यवसाय ■ _____

9. वर्तमान व्यवसाय का टर्न ओवर (टर्न ओवर प्रमाण पत्र संलग्न करें) ■ -----
10. वित्तीय स्थिति (बैंक खाता नं.) ■ -----
- (अ) चल-अचल सम्पत्ति का ब्योरा। -----
- (ब) बैंक एवं वित्तीय संस्थाओं में जमा राशि। -----
11. सुपरस्टाकिस्ट हेतु आवश्यक पूंजी की व्यवस्था। ■ -----

नोट- परिवहन दर वास्तविक संचालन व्यय से कम होने पर निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन अमान्य किया जावेगा।

दिनांक -

आवेदक के हस्ताक्षर

पूरा नाम

दुग्ध संयंत्र इन्दौर से संबद्ध विपणन मार्ग की जानकारी

विपणन मार्ग का नाम	अनुमानित दूरी कि.मी. (आना-जाना)	रेफ्रीजरेटेड वाहन का प्रकार	प्रदाय केटों की संख्या	रेफ्रीजरेटेड वाहन की प्रस्तुत दर
इन्दौर संयंत्र डाक से मानपुर गुजरी धानी धामनोद ठीकरी जुलवानिया दुग्ध संयंत्र जामली सेंधवा	400	पिकअप अथवा समकक्ष	200	ऑनलाईन दर प्रति कि.मी. में प्रस्तुत करें।

नोट :- विपणन मार्ग की दूरी कि.मी. का सत्यापन संघ की समिति द्वारा किया जावेगा। सत्यापित कि.मी. के आधार पर परिहवन देयक का भुगतान किया जावेगा।

साँची दुग्ध पदार्थ, बटर सुपरस्टॉकिस्ट परिवहनकर्ता हेतु
फाइनेंशियल बिड

विपणन मार्ग का नाम	अनुमानित दूरी कि.मी. (आना-जाना)	रेफ्रीजरेटेड वाहन का प्रकार	प्रदाय क्रेटों की संख्या	रेफ्रीजरेटेड वाहन की प्रस्तुत दर
इन्दौर संयंत्र डाक से मानपुर गुजरी धानी धामनोद ठीकरी जुलवानिया दुग्ध संयंत्र जामली सेंधवा	400	पिकअप अथवा समकक्ष	200	ऑनलाईन दर प्रति कि.मी. मे प्रस्तुत करें।

नोट :-

1. परिवहन दर वास्तविक संचालन व्यय से कम होने पर निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन अमान्य किया जावेगा।
2. विपणन मार्ग पर प्रारंभ मे साँची दुग्ध पदार्थ, बटर सप्ताह मे दो बार प्रदाय किया जावेगा। मांग मे वृद्धि होने पर नियमित प्रदायगी की जावेगी।